P: ISSN No. 2321-290X RNI No. UPBIL/2013/55327 VOL.- XIII , ISSUE- V January - 2026
E: ISSN No. 2349-980X Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों का औचित्यः एक बहुलवादी दृष्टिकोण

The Rationale of Coalition Governments in India: A Pluralistic Perspective

Paper Id : **21170** Submission Date : **2026-01-02** Acceptance Date : **2026-01-23** Publication Date : **2026-01-25**
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
DOI:10.5281/zenodo.18797803
For verification of this paper, please visit on http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8

सुषमा कुमारी
शोध छात्रा
राजनीतिक विज्ञान विभाग
बी.आर.ए.बिहार विश्वविद्यालय
मुजफ्फरपुरबिहार, भारत

हरिशचंद्र प्रसाद यादव
शोध निर्देशक
राजनीतिक विज्ञान विभाग
डा.राममनोहर लोहिया स्मारक
महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

सारांश

भारतीय लोकतंत्र अपनी मूल प्रकृति में गहरे रूप से बहुलवादी और विविधतापूर्ण है। पिछले कुछ दशकों में 'एक-दलीय प्रभुत्व' के क्रमिक पतन और 'गठबंधन राजनीति' के क्रमिक उदय ने देश के राजनीतिक और संवैधानिक ढांचे को बुनियादी तौर पर पुनर्गठित किया है। यह शोध पत्र इस केंद्रीय तर्क की पड़ताल करता है कि गठबंधन सरकारें केवल राजनीतिक अस्थिरता या विवशता का पर्याय नहीं हैं, जैसा कि अक्सर आलोचना की जाती है, बल्कि वे भारत के जटिल संघीय ढांचे (Federal Structure) और विविध क्षेत्रीय आकांक्षाओं का वास्तविक प्रतिबिंब हैं। प्रस्तुत लेख इस बात का गहन विश्लेषण करता है कि कैसे गठबंधन के दौर ने सत्ता के अति-केंद्रीकरण को चुनौती देकर 'निरंकुश शासन' की संभावनाओं को सीमित किया है और नीति-निर्माण की प्रक्रिया को अधिक समावेशी, संवादात्मक और विमर्शपूर्ण बनाया है। क्षेत्रीय दलों की राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका ने न केवल शक्ति का प्रभावी विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया है, बल्कि लोकतंत्र के हाशिए पर खड़े समुदायों और भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों को भी मुख्यधारा की नीतिगत भागीदारी प्रदान की है। यह शोध यह भी रेखांकित करता है कि गठबंधन सरकारों ने 'सहकारी संघवाद' को व्यावहारिक रूप प्रदान किया है। निष्कर्षतः, गठबंधन राजनीति को भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी के बजाय उसकी परिपक्वता और विकासवादी चरण के रूप में देखा जाना चाहिए, जहाँ विभिन्न वैचारिक धाराओं का संगम एक संतुलित, प्रतिनिधित्वपूर्ण और उत्तरदायी शासन व्यवस्था की सुदृढ़ नींव रखता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Indian democracy is inherently pluralistic and profoundly diverse. Over the past few decades, the gradual decline of 'one-party dominance' and the subsequent rise of 'coalition politics' have fundamentally restructured the nation's political and constitutional landscape. This research paper explores the central argument that coalition governments are not merely synonyms for political instability or tactical compromises, as often criticized; rather, they are a true reflection of India's complex federal structure and diverse regional aspirations. The article provides an in-depth analysis of how the era of coalitions has challenged the hyper-centralization of power, thereby limiting the possibilities of 'authoritarian governance' and making the policy-making process more inclusive, communicative, and deliberative. The active role of regional parties in national politics has not only ensured the effective decentralization of power but has also provided mainstream political agency to marginalized communities and geographically remote regions. The study further highlights that coalition governments have translated 'Cooperative Federalism' into a practical reality. Conclusively, coalition politics should be viewed not as a structural weakness of Indian democracy but as a mark of its maturity and evolutionary progression. It represents a balanced and representative governance model where the convergence of diverse ideological streams establishes a robust foundation for an accountable and pluralistic administrative system.

मुख्य शब्द भारतीय लोकतंत्र ,गठबंधन सरकार,बहुलवाद संघीय व्यवस्था,राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सहमति आधारित राजनीति, क्षेत्रीय दल।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद Coalition politics, Pluralism, Coalition Government, Federal Structure, Political Representation, Consensus Politics, Regional Parties.

प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र अपनी संरचना और व्यवहार दोनों में बहुलवादी चरित्र को प्रतिबिंबित करता है। सामाजिक विविधता, क्षेत्रीय अस्मिताएँ, भाषायी भिन्नताएँ और ऐतिहासिक विषमताएँ भारत की राजनीति को जटिल लेकिन जीवंत बनाती हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में एकदलीय प्रभुत्व ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, किंतु लोकतांत्रिक विस्तार के साथ यह मॉडल सामाजिक-राजनीतिक यथार्थ के अनुरूप नहीं रह सका। परिणामस्वरूप, गठबंधन सरकारें भारतीय राजनीति का एक स्थायी और प्रभावी स्वरूप बनकर उभरीं।

गठबंधन सरकारों को प्रायः अस्थिरता, नीति-गत समझौतों और निर्णय-प्रक्रिया की धीमी गति से जोड़ा जाता है। परंतु यह दृष्टिकोण अधूरा है। वस्तुतः गठबंधन शासन भारतीय संघीय व्यवस्था, सत्ता के विकेंद्रीकरण और बहुस्तरीय प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाता है। और यह प्रतिपादित करता है कि गठबंधन राजनीति भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत है।

बहुलवाद (Pluralism) लोकतांत्रिक सिद्धांत का वह आधार है जो समाज को विविध हितों, समूहों और पहचानों के समुच्चय के रूप में देखता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोकतंत्र केवल संख्यात्मक बहुमत का शासन नहीं है, बल्कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय समूहों के बीच संतुलन और सहभागिता की प्रक्रिया है। भारतीय संदर्भ में यह सिद्धांत विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि भारत की सामाजिक संरचना बहुस्तरीय और विषम है।

गठबंधन सरकारें बहुलवादी सिद्धांत की व्यवहारिक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आती हैं। जब कोई एक दल समाज की समस्त विविधताओं का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ होता है, तब गठबंधन राजनीति विभिन्न दलों और विचारधाराओं को सत्ता में भागीदारी का अवसर प्रदान करती है। इससे न केवल राजनीतिक समावेशन बढ़ता है, बल्कि लोकतांत्रिक वैधता भी सुदृढ़ होती है।

बहुलवादी ढाँचे में सत्ता का केंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इसके विपरीत, गठबंधन शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण और साझेदारी को प्रोत्साहित करता है। नीति-निर्माण की प्रक्रिया में अनेक पक्षों की भागीदारी से निर्णय अधिक संवादपरक और संतुलित बनते हैं। यद्यपि इससे निर्णय लेने की गति प्रभावित हो सकती है, परंतु यह लोकतांत्रिक सहमति और उत्तरदायित्व को मजबूत करता है।

इस प्रकार, बहुलवादी सिद्धांत के आलोक में गठबंधन सरकारें किसी राजनीतिक विवशता का परिणाम नहीं, बल्कि भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में लोकतंत्र के स्वाभाविक और आवश्यक स्वरूप के रूप में देखी जा सकती हैं। वे यह सुनिश्चित करती हैं कि लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित न रहकर प्रतिनिधित्व, सहभागिता और संवाद की सतत प्रक्रिया बना रहे।

भारतीय लोकतंत्र के प्रारंभिक चार दशकों का राजनीतिक मानचित्र मुख्य रूप से 'कांग्रेस प्रणाली' (The Congress System) द्वारा परिभाषित था। प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री रजनी कोठारी के अनुसार, यह व्यवस्था एक 'छतरी' की तरह थी जिसके भीतर विभिन्न विचारधाराओं, हितों और सामाजिक समूहों का समावेश था। इस युग में भारतीय राजनीति का केंद्र 'दिल्ली' था और सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे (Top-down) की ओर था। नेहरूवादी युग में, एक-दलीय प्रभुत्व ने राष्ट्र-निर्माण के शुरुआती चरणों में स्थिरता तो प्रदान की, लेकिन इसने स्थानीय और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय विमर्श के हाशिए पर धकेल दिया था।

1960 के दशक के उत्तरार्ध से इस प्रभुत्व में दरारें पड़नी शुरू हुईं। 1967 के विधानसभा चुनावों ने पहली बार स्पष्ट किया कि भारतीय मतदाता अब एक विकल्प की तलाश में है। हालांकि, केंद्र में यह परिवर्तन 1989 के आम चुनावों के बाद पूरी तरह स्थापित हुआ। 1989 का वर्ष भारतीय राजनीति के लिए एक 'वाटरशेड मोमेंट' (Watershed Moment) था, जिसने 'एक-दलीय वर्चस्व' के युग का अंत कर 'बहु-दलीय गठबंधन' के युग की आधारशिला रखी।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों के औचित्य का एक बहुलवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है ।

साहित्य अवलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों जैसे जनी कोठारी (1970) की 'पॉलिटिक्स इन इंडिया', योगेंद्र यादव (1996) की पुस्तक 'रीकॉन्फ़िगरेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स', ज़ोया हसन (2002) की पुस्तक 'पार्टीज एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया', क्रिस्टोफ़ जाफ़रलॉट (2003) की

पुस्तक 'इंडियाज़ साइलेंट रिवोल्यूशन', प्रदीप छिब्बर (1999) की 'डेमोक्रेसी विदाउट एसोसिएशंस', रुडोल्फ एंड रुडोल्फ (1987) की 'इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी' एवं निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट (2024) में 'क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के मत प्रतिशत और प्रतिनिधित्व के सांख्यिकीय आंकड़ों' का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ

सामाजिक मंथन और राजनीतिक विखंडन

गठबंधन राजनीति का उदय केवल राजनीतिक नेताओं की सत्ता लोलुपता का परिणाम नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज के भीतर चल रहे गहरे सामाजिक-आर्थिक मंथन का प्रकटीकरण था। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद पिछड़ी जातियों में आई राजनीतिक चेतना और दलित वर्गों का संगठित उभार (जैसे बहुजन समाज पार्टी का उदय) ने पारंपरिक वोट-बैंक को छिन्न-भिन्न कर दिया।

समाज के इन उभरते वर्गों ने महसूस किया कि एक बड़ा राष्ट्रीय दल उनकी विशिष्ट पहचान और स्थानीय समस्याओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, 'क्षेत्रीय अस्मिता' और 'सामाजिक न्याय' के नाम पर कई नए राजनीतिक केंद्रों का जन्म हुआ। यह विखंडन वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया थी, जिसने सत्ता को 'अभिजात्य वर्ग' के हाथों से निकालकर 'जमीनी नेतृत्व' तक पहुँचाया।

भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों का मूल्यांकन करते समय उनके समक्ष विद्यमान चुनौतियों और उनसे उत्पन्न लोकतांत्रिक लाभों को एक साथ देखना आवश्यक है। गठबंधन शासन की सबसे प्रमुख चुनौती निर्णय-प्रक्रिया की जटिलता मानी जाती है। विभिन्न दलों की वैचारिक भिन्नताएँ, नीति-गत प्राथमिकताओं का टकराव तथा साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर निर्भरता कभी-कभी शासन की गति को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त, गठबंधन सहयोगियों के बीच असंतुलन राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, गठबंधन सरकारों से जुड़े लोकतांत्रिक लाभ अधिक गहरे और दीर्घकालिक हैं। गठबंधन राजनीति संवाद, परामर्श और सहमति की संस्कृति को विकसित करती है, जो लोकतंत्र की मूल आत्मा है। इससे सत्ता का केंद्रीकरण सीमित होता है और निर्णय-निर्माण अधिक सहभागितापूर्ण बनता है। क्षेत्रीय दलों की भागीदारी केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय को प्रोत्साहित करती है, जिससे संघीय ढांचे को मजबूती मिलती है।

गठबंधन सरकारें सामाजिक विविधताओं को राजनीतिक मान्यता प्रदान करती हैं। वे लोकतंत्र को केवल चुनावी बहुमत तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि बहुसंख्यकवाद के संभावित प्रभुत्व पर संतुलन स्थापित करती हैं। इस प्रकार, नीति-निर्माण में विभिन्न सामाजिक हितों का समावेशन संभव हो पाता है।

अतः, गठबंधन सरकारों की चुनौतियों को लोकतांत्रिक कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि एक विविध समाज में सहमति आधारित शासन की स्वाभाविक कीमत के रूप में देखा जाना चाहिए। वे भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी, उत्तरदायी और संतुलित बनाती हैं।

गठबंधन: मजबूरी या लोकतांत्रिक अपरिहार्यता?

प्रारंभ में, गठबंधन सरकारों को 'राजनीतिक अस्थिरता' और 'कमजोर सरकार' का पर्याय माना गया। 1989 से 1999 के बीच सरकारों का जल्दी गिरना (जैसे वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर, एच.डी. देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल सरकारें) इस धारणा को बल देता था। परंतु, सूक्ष्म विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि यह दौर भारतीय लोकतंत्र का एक 'सीखने का चरण' (Learning Phase) था।

गठबंधन सरकारें दरअसल भारत की उस विविधता का राजनीतिक प्रतिफल हैं जिसे एक अकेले दल के विचार में समाहित करना असंभव था। यह एक ऐसी व्यवस्था के रूप में उभरी जहाँ 'सर्वसम्मति' (Consensus) बनाना अनिवार्य हो गया। यहाँ से राजनीति का स्वरूप 'आदेशात्मक होने के बजाय 'संवादात्मक' होने लगा। अतः, गठबंधन सरकारों का औचित्य इस

बात में निहित है कि उन्होंने भारत जैसे उपमहाद्वीप में 'अधिनायकवाद' की संभावनाओं को समाप्त कर एक बहुलवादी सत्ता संरचना का निर्माण किया।

भारतीय संघवाद का पुनर्जन्म: सिद्धांतों से व्यवहार तक

भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसके अनुच्छेद 1 में भारत को 'राज्यों का संघ' (Union of States) घोषित किया गया है। सैद्धांतिक रूप से भारत हमेशा से संघीय रहा है, लेकिन व्यवहार में, एक-दलीय वर्चस्व के दौरान हमारा ढांचा 'अर्ध-संघीय' अधिक था, जहाँ केंद्र के पास अत्यधिक शक्तियां थीं। गठबंधन राजनीति के उदय ने भारतीय संघवाद को कागजी प्रावधानों से निकालकर व्यावहारिक धरातल पर जीवंत कर दिया।

जब केंद्र सरकार की स्थिरता क्षेत्रीय दलों के समर्थन पर निर्भर होने लगी, तो सत्ता का संतुलन स्वाभाविक रूप से राज्यों की ओर झुक गया। इसने 'केंद्रीकृत संघवाद' को **'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism)** में बदल दिया। अब केंद्र सरकार राज्यों को मात्र प्रशासनिक इकाइयां नहीं समझ सकती थी, बल्कि उन्हें नीतिगत साझेदार के रूप में स्वीकार करना पड़ा। यह परिवर्तन भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का सूचक है, जहाँ शक्ति का स्रोत केवल दिल्ली नहीं, बल्कि राज्यों की राजधानियां भी बन गईं।

गठबंधन युग का सबसे बड़ा संवैधानिक लाभ 'अनुच्छेद 356' के दुरुपयोग पर लगाम के रूप में सामने आया। एक-दलीय प्रभुत्व के दौरान, केंद्र सरकार अक्सर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों को 'संवैधानिक विफलता' के नाम पर बर्खास्त कर देती थी। गठबंधन सरकारों के दौर में, जब क्षेत्रीय दल स्वयं केंद्र की सत्ता में भागीदार बने, तो उन्होंने राज्यों की स्वायत्तता पर होने वाले इस प्रहार को रोकने का कार्य किया। 1994 के 'एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ' के ऐतिहासिक फैसले के साथ गठबंधन की मजबूरियों ने केंद्र को राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले 'बहुमत परीक्षण' और 'ठोस तर्कों' के लिए विवश किया। इसने भारतीय राज्यों को एक ऐसी सुरक्षा प्रदान की, जिससे वे केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप के बिना अपनी क्षेत्रीय नीतियों को लागू करने में स्वतंत्र हो सके।

क्षेत्रीय अस्मिताओं का राष्ट्रीय विमर्श में समावेश

भारत जैसे उपमहाद्वीप में 'क्षेत्रीयता' को अक्सर 'राष्ट्रीयता' के विरोधी के रूप में देखा जाता था। गठबंधन राजनीति ने इस मिथक को तोड़ दिया। जब तमिलनाडु का द्रमुक (DMK), बिहार का राजद (RJD), या पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (TMC) केंद्र की सत्ता में शामिल हुए, तो उन्होंने क्षेत्रीय अस्मिताओं को 'राष्ट्रीय एजेंडे' का हिस्सा बनाया।

यह गठबंधन राजनीति का ही औचित्य है कि आज कावेरी जल विवाद हो या पूर्वोत्तर की भाषाई समस्या, इन पर चर्चा केवल राज्यों की सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि संसद के पटल पर इन्हें राष्ट्रीय प्राथमिकता मिलती है। क्षेत्रीय अस्मिताओं का यह गौरव लोकतंत्र को अधिक **'समावेशी'** बनाता है। यह अलगाववादी प्रवृत्तियों को कम करने का एक प्रभावी उपकरण सिद्ध हुआ है, क्योंकि जब क्षेत्रीय समूहों को सत्ता में अपनी हिस्सेदारी दिखती है, तो उनका राष्ट्र के प्रति विश्वास और भी सुदृढ़ होता है।

आर्थिक संघवाद और संसाधनों का वितरण

गठबंधन युग ने आर्थिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण को भी गति दी। क्षेत्रीय दलों ने वित्त आयोगों और योजना आयोग (अब नीति आयोग) के माध्यम से राज्यों के लिए अधिक वित्तीय स्वायत्तता की मांग की। केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान और करों की हिस्सेदारी में जो वृद्धि देखी गई है, उसके पीछे गठबंधन सरकारों के भीतर होने वाला निरंतर 'मोल-तोल' और 'संवाद' है। यह 'सौदेबाजी वाला संघवाद' नकारात्मक नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि विकास का पहिया केवल औद्योगिक राज्यों तक ही न थमे, बल्कि पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों तक भी पहुँचे।

नीति-निर्माण की समावेशिता और निरंकुशता पर अंकुश
गठबंधन सरकारों की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 'विमर्शपूर्ण लोकतंत्र' की स्थापना है। एक-दलीय बहुमत वाली सरकारों में अक्सर 'संख्या बल' के आधार पर निर्णय थोपने की प्रवृत्ति होती है, जिसे लोकतांत्रिक भाषा में 'बहुमत की निरंकुशता' कहा जा सकता है। इसके विपरीत, गठबंधन सरकारों में निर्णय लेने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से 'आम सहमति' पर आधारित होती है।

जब विभिन्न विचारधाराओं वाले दल (जैसे समाजवाद, उदारवाद और क्षेत्रीय अस्मितावादी दल) एक साथ मिलकर शासन करते हैं, तो किसी भी विधेयक या नीति पर गहन मंथन होता है। यह प्रक्रिया भले ही समय लेने वाली प्रतीत हो, लेकिन यह त्रुटिहीन और व्यापक रूप से स्वीकार्य नीतियों को जन्म देती है। गठबंधन सरकारों में 'साझा न्यूनतम कार्यक्रम' (Common Minimum Programme) एक ऐसे मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है, जो सत्ता के सभी भागीदारों को एक उत्तरदायी ढांचे के भीतर बाँध कर रखता है।

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि गठबंधन सरकारें कड़े फैसले लेने में असमर्थ होती हैं, जिसे 'नीतिगत अपंगता' कहा जाता है। परंतु, ऐतिहासिक साक्ष्य इस तर्क को चुनौती देते हैं। भारत के सबसे क्रांतिकारी आर्थिक सुधार (1991), परमाणु परीक्षण (1998), सूचना का अधिकार (2005) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), ये सभी गठबंधन सरकारों के कार्यकाल में ही संभव हुए। ये उदाहरण सिद्ध करते हैं कि गठबंधन राजनीति प्रगति में बाधक नहीं, बल्कि उसे अधिक 'मानवीय' और 'लोकतांत्रिक' बनाती है। जहाँ एक-दलीय सरकारें केवल 'विकास' के आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं, वहीं गठबंधन सरकारें यह सुनिश्चित करती हैं कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, क्योंकि उनके सहयोगी दल विभिन्न सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सत्ता का संतुलन और संस्थागत स्वतंत्रता

गठबंधन राजनीति ने भारत में 'अति-केंद्रीकृत' कार्यकारी शक्ति पर प्रभावी अंकुश लगाया है। जब प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय के लिए गठबंधन सहयोगियों के साथ संवाद करना पड़ता है, तो सत्ता के दुरुपयोग की संभावना न्यूनतम हो जाती है। यह व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र के **'Checks and Balances'** के सिद्धांत को मजबूती प्रदान करती है।

इसके साथ ही, गठबंधन युग में संवैधानिक संस्थाओं (जैसे चुनाव आयोग, न्यायपालिका और सीएजी) को अधिक स्वायत्तता मिली। जब सत्ता विखंडित होती है, तो कोई भी एक दल इन संस्थाओं को अपनी इच्छा के अनुरूप नियंत्रित नहीं कर पाता। इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। गठबंधन सरकारों के दौरान संसदीय समितियों की भूमिका और विपक्षी दलों की आवाज का महत्व भी बढ़ जाता है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अनिवार्य शर्त है।

गठबंधन सरकारें केवल राजनीतिक दलों का समूह नहीं हैं, बल्कि वे भारत के सामाजिक विविधता का सूक्ष्म जगत हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न भाषाई, धार्मिक और जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व यह सुनिश्चित करता है कि नीति-निर्माण की मेज पर 'बहुलता' बनी रहे। यह समावेशिता लोकतंत्र को 'अभिजात्य' होने से बचाती है। हाशिए पर खड़े समुदायों को जब सत्ता में सीधा प्रतिनिधित्व मिलता है, तो उनका भारतीय राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास गहरा होता है। अतः, गठबंधन का औचित्य इस बात में निहित है कि इसने सत्ता को 'साझा विरासत' के रूप में स्थापित किया है।

2014 के बाद का राजनीतिक प्रतिमान: बहुमत और गठबंधन का सह-अस्तित्व

वर्ष 2014 और 2019 के आम चुनावों ने भारतीय राजनीति में एक बार फिर 'पूर्ण बहुमत' के युग की वापसी की, जिसने कई राजनीतिक विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या गठबंधन का युग समाप्त हो चुका है। हालांकि, वास्तविकता इसके विपरीत है। वर्तमान भारतीय राजनीति 'एक दलीय वर्चस्व' और 'गठबंधन' के एक अनूठे मिश्रण से गुजर रही है। भारतीय

जनता पार्टी (BJP) ने पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बावजूद 'राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन' (NDA) को बनाए रखा है।

यह प्रवृत्ति यह सिद्ध करती है कि अब भारतीय लोकतंत्र में **'गठबंधन की संस्कृति' (Coalition Culture)** स्थायी रूप से रच-बस गई है। सत्ता पक्ष के पूर्ण बहुमत के दौर में भी क्षेत्रीय सहयोगियों को साथ रखना केवल अंकगणितीय मजबूरी नहीं, बल्कि 'राजनीतिक वैधता' प्राप्त करने का एक माध्यम बन गया है। दूसरी ओर, विपक्षी दलों का साझा मंच (जैसे I.N.D.I.A. ब्लॉक) यह दर्शाता है कि गठबंधन अब केवल शासन चलाने का माध्यम नहीं, बल्कि वैचारिक प्रतिरोध और बहुलवाद की रक्षा का एक सशक्त हथियार है।

भविष्य में गठबंधन सरकारों के सुचारू संचालन के लिए कुछ संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। अक्सर छोटे दलों द्वारा 'अवसरवादी राजनीति' या 'दलबदल' की समस्या गठबंधन की स्थिरता को चोट पहुँचाती है। इसके लिए 'दलबदल विरोधी कानून' (Anti-Defection Law) को और अधिक सख्त बनाने और राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, गठबंधन सरकारों को 'नीतिगत निरंतरता' सुनिश्चित करने के लिए 'साझा न्यूनतम कार्यक्रम' को एक कानूनी या औपचारिक स्वरूप देने पर विचार करना चाहिए, ताकि सत्ता के परिवर्तन के साथ ही जनकल्याणकारी योजनाएं बाधित न हों।

निष्कर्ष

भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों का औचित्य इसकी सामाजिक जटिलता और सांस्कृतिक विविधता में गहराई से निहित है। यह शोध इस बात की पुष्टि करता है कि गठबंधन सरकारें अस्थिरता का कारक नहीं, बल्कि भारत के **'विविधतापूर्ण राष्ट्र'** होने का अनिवार्य परिणाम हैं। इन्होंने 'एक दलीय प्रभुत्व' की जड़ता को तोड़कर सत्ता का लोकतंत्रीकरण किया है और क्षेत्रीय अस्मिताओं को राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की है।

गठबंधन राजनीति ने यह सिद्ध किया है कि भारत जैसे विशाल देश में शासन का सर्वोत्तम मॉडल 'आदेश' (Order) नहीं, बल्कि 'संवाद' (Dialogue) है। यह व्यवस्था निरंकुशता को रोकने, संघीय ढांचे को मजबूत करने और नीति-निर्माण को समावेशी बनाने में सफल रही है। भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता इस बात में है कि वह विभिन्न विचारधाराओं और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को एक साथ लेकर चले। गठबंधन राजनीति इसी 'सामूहिक चेतना' का प्रतिबिंब है, जो भविष्य के सुदृढ़, संगठित और बहुलवादी भारत की आधारशिला रखती है।

यद्यपि गठबंधन सरकारों को निर्णय-प्रक्रिया की जटिलता, नीतिगत समझौतों और शासन की गति में संभावित कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी ये चुनौतियाँ लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि सहमति-आधारित राजनीति की अनिवार्य शर्तें हैं। गठबंधन शासन संवाद, परामर्श और सामूहिक उत्तरदायित्व की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करता है।

यह शोध का निष्कर्ष निकालता है कि भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों का औचित्य उनकी स्थायित्व क्षमता से कहीं अधिक उनके लोकतांत्रिक योगदान में निहित है। वे क्षेत्रीय आकांक्षाओं, सामाजिक विविधताओं और बहुस्तरीय राजनीतिक हितों को संवैधानिक ढांचे के भीतर स्थान प्रदान करती हैं। इस प्रकार, गठबंधन सरकारें भारतीय लोकतंत्र की सीमाओं को नहीं, बल्कि उसकी परिपक्वता, अनुकूलनशीलता और बहुलवादी चेतना को प्रतिबिंबित करती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *रजनी कोठारी (1970): पॉलिटिक्स इन इंडिया, ओरिएंट ब्लैकस्वॉन।*
2. *योगेंद्र यादव (1996): रीकॉन्फ़िगरेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स, EPW।*
3. *ज़ोया हसन (2002): पार्टीज एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड।*
4. *श्रीधरन (2012): कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन इन एशिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।*
5. *एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): सुप्रीम कोर्ट केसेस, 3 SCC 1।*
6. *क्रिस्टोफ़ जाफ़रलॉट (2003): इंडियाज़ साइलेंट रिवोल्यूशन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस।*

7. *प्रदीप छिब्बर (1999): डेमोक्रेसी विदाउट एसोसिएशंस, मिशिगन प्रेस।*
8. *रुडोल्फ एंड रुडोल्फ (1987): इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस।*
9. *पार्लियामेंट्री डिबेट्स (1996-2024): विभिन्न गठबंधन सरकारों के साझा न्यूनतम कार्यक्रम और संसदीय चर्चाओं के प्राथमिक स्रोत।*
10. *निर्वाचन आयोग रिपोर्ट (2024): क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के मत प्रतिशत और प्रतिनिधित्व के सांख्यिकीय आंकड़ों के लिए।*